न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट नं0—2, जौनपुर
प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या— 26/2026
रजिस्ट्रेशन नं0— 238/2026
सीएनआर नं0—यूपीजेपी.010038182026
श्यामदेशवाल एवं अन्य———————बनाम———————स्टेट
मु0 अ0 सं0— 401/2025
धारा—8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट,
थाना—जलालपुर, जिला जौनपुर।

12.06.2026 **आदेश**

आवेदक विष्पेन्द्र पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम—मानपुर पोस्ट—मौर, थाना—तप्पल, जिला अलीगढ़ की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसका भाई श्यामदेशवाल मु0 अ0 सं0—401/2025 अंतर्गत धारा 8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के अपराध में न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और अभियुक्त श्यामदेशवाल के कब्जे से जामा तलाशी में प्राप्त मोबाईल संख्या—8595035642 एप्पल आईफोन—13 रंग सफेद जिसका IMEI NO.(1)-358318964997088 (2)-358318964541266 जिसके स्वामी विष्पेन्द्र है जो उपरोक्त मु0 अ0 सं0—401/2025, धारा 8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, थाना जलालपुर, जिला—जौनपुर के मामले में पुलिस द्वारा बरामद कर थाने पर रख लिया गया है। उपरोक्त मोबाईल को आवेदक के पक्ष में अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र व नोटरी शपथ पत्र एवं अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सम्बंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। आख्या के अनुसार उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0—401/2025 अंतर्गत धारा—8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट में दौरान गिरफतारी अभियुक्त श्यामदेशवाल पुत्र संजय सिंह के पास से उक्त मोबाईल जामा तलाशी में बरामद कर पारदर्शी डिब्बे में सील कर थाना के मालखाना में निरूद्ध है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन के अनुसार प्रश्नगत मोबाईल मु0 अ0 सं0—401/2025, धारा 8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट, थाना जलालपुर, जिला जौनपुर के मामले में निरूद्ध है। सम्बंधित थाना जलालपुर, जौनपुर की आख्या के अनुसार मोबाईल उपरोक्त थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0 अ0 सं0—401/2025 अंतर्गत धारा 8/20/29/60 एन0 डी0 पी0 एस0 एक्ट के मामले में दौरान गिरफतारी जामा तलाशी में बरामद होकर थाना के मालखाना में जमा है। आवेदक द्वारा मोबाईल उपरोक्त की रसीद की छायाप्रति एवं शपथ पत्र व नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया है। उक्त शपथ पत्र में आवेदक द्वारा कहा गया है कि आवेदक विष्पेन्द्र पुत्र डालचन्द द्वारा उपरोक्त मोबाईल का स्वामी बताया गया है। उक्त मोबाईल का अन्य कोई दावेदार नहीं है। प्रस्तुत मामले के अभियुक्त श्यामदेशवाल जिनके कब्जे से जामा तलाशी में उपरोक्त मोबाईल उपरोक्त अपराध में बरामद किया गया है वह उसका भाई है। थाने के मालखाना में उक्त मोबाईल पड़ी रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है।

Digitally signed by PASHUPATI NATH MISHRA
Date: 2026.06.12 13:48:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Jaunpur

अतः मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मोबाईल उपरोक्त को निम्न शर्तो के अधीन आवेदक विष्पेन्द्र पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम–मानपुर पोस्ट–मौर, थाना–तप्पल, जिला अलीगढ़ के पक्ष में अवमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

1–आवेदक विष्पेन्द्र द्वारा मु0 50,000/रुपये (पचास हजार रूपये) की एक जमानत तथा इसी धनराशि का मुचलिका दाखिल करे।

2–आवेदक द्वारा इस बात की अडरटेकिंग देने पर कि दौरान वाद उपरोक्त मोबाईल को बेचेगा नहीं और उसके रंगरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तथा न्यायालय/विवेचक द्वारा आहूत किये जाने पर वह उपरोक्त मोबाईल को यथा स्थान प्रस्तुत करेगा।

3–उक्त शर्ते पूर्ण होने पर मोबाईल उपरोक्त यदि किसी अन्य अपराध में वांछित न हो तो आवेदक विष्पेन्द्र पुत्र डालचन्द निवासी ग्राम–मानपुर पोस्ट–मौर, थाना–तप्पल, जिला अलीगढ़ के पक्ष में मोबाईल से सम्बंधित दस्तावेज, पता सत्यापन करने के पश्चात अवमुक्त किया जाए।

(पशुपति नाथ मिश्रा)
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट नं0–2
जौनपुर।
जे. ओ. कोड नं0–यू0 पी0 6446